आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
30/12/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 95/2011** **रामानुज राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1026/आपूर्त्ति दिनांक 19/11/2011 के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा दिनांक 25/10/2011 को दरियापुर प्रखंड की सभी पंचायतों के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया था। अपीलकर्त्ता की दुकान निरीक्षण तिथि 25/10/2011 को बंद पायी गयी थी। उसके बाद अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपीलकर्त्ता का पक्ष यह है कि निरीक्षण तिथि के एक दिन पूर्व अपने पोते की गंभीर अस्वस्थता के कारण उसकी चिकित्सा कराने पटना चले गए थे। यह एक अपरिहार्य परिस्थिति थी और इसी वजह से जन वितरण प्रणाली दुकान बंद करनी पड़ी। पोते की चिकित्सा से संबंधित चिकित्सीय पूर्जा भी संलग्न किया गया है। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने प्रश्नगत आदेश को सही ठहराते हुए समर्पित किया कि जन वितरण प्रणाली दुकान को इस प्रकार के बहाने से बंद करना उपभोक्ताओं के खिलाफ अन्याय है और इसलिए प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने तथा मूल अभिलेखों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जन वितरण प्रणाली दुकान अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में बंद की गयी थी। हालाँकि विक्रेता को दुकान खुली रखने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करना चाहिए था, फिर भी मात्र इस आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द करना अप्रत्यानुपातिक दंड होगा। अतः अपीलकर्त्ता को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है और अपील आवेदन इस चेतावनी के साथ स्वीकार किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	